न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
भागीरथराम (आरटीएस)
दिनांक–5.7.18

मि.न.– 67 / 2018

सरकार बनाम बनवारी
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नांगल पण्डित पुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम हॉसियावास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 243रकबा 0.26 किस्म जमीन सि0चक गै0मु0रास्ता पर बनवारी पुत्र रामलाल जाति गुजर्र निवासी हॉसियावास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने 50मीटर भूमि पर सरसों के डांकला डाल कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये । सुचनापरान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आया । इसलिये गैरसायल के विरूद्व कार्यवाही एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

अतःबनवारी पुत्र रामलाल जाति गुजर्र निवासी हॉसियावास तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम हॉसियावास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 243 रकबा 0.26 जमीन गै0 मु0 रास्ता मेंसे 0.005है पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी .20 का पचास गुणा 10 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.7.18 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

2018 0 19 के रा० ले० 4
पृ० संख्या 09 पर 08
10